**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**12.08.2026 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4046 का उत्तर**

**केरल में आरओबी और आरयूबी की स्थिति**

**4046. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) केरल में स्वीकृत, अनुमोदित और निर्माणाधीन रेल उपरि पुल (आरओबी) और रेल अधोगामी पुल (आरयूबी) का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी है तथा लागत-साझाकरण पैटर्न क्या है और कार्यान्वयन एजेंसी का नाम क्या है;**

**(ख) विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक आरओबी और आरयूबी परियोजना के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि वर्ष-वार कितनी है;**

**(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और पूरे किए गए कार्यों, निष्पादन के अधीन कार्यों, अभी तक आरंभ नहीं हुई परियोजनाओं और विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;**

**(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान केरल के लिए कोई नए आरओबी और आरयूबी स्वीकृत/अनुमोदित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और**

**(ङ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में लंबित आरओबी और आरयूबी परियोजनाओं के पूरा होने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए क्या संशोधित समय-सीमा निर्धारित की गई है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (ङ): भारतीय रेल पर समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता एवं**

सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा व्यवहार्यता आदि के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके उन्हें शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की अवधि कि तुलना में वर्ष 2014-26 (मई 2026 तक) के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

| अवधि | निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल |
|---|---|
| 2004-14 | 4,148 अदद |
| 2014-26 (मई, 2026 तक) | 14,451 अदद (131 अदद केरल राज्य में) |

दिनांक 01.06.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में लगभग ₹1,17,492 करोड़ की लागत से 4,993 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें केरल राज्य में लगभग ₹4,786 करोड़ की लागत से स्वीकृत 145 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्य भी शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन कार्यों में से, 104 कार्य लागत भागीदारी के आधार पर और 41 अदद कार्य 100% रेलवे की लागत पर स्वीकृत हैं।

52 अदद ऊपरी/ निचले सड़क पुल राज्य सरकार के कारण विलंबित हैं। विवरण निम्नानुसार है:

| # | कारण | ऊपरी/निचले सड़क पुल (अदद में) |
|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण मे देरी | 34 |
| 2. | राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अंतिम रूम दिए जाने में देरी | 13 |
| 3. | एजेंसी का निर्धारण किया जाना शेष है | 5 |

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों का पूरा होना और चालू होना कई कारकों जैसे समपार को बंद करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग संरेखण का निर्धारण, सामान्य व्यवस्था आरेखण का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण को हटाना, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र

**में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना/क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में कार्य करने के मौसम की समयावधि आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं।**

**रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैः**

i. **सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।**

ii. **ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।**

iii. **डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के हिस्से में स्पैन के विभिन्न संयोजनों, तिर्यकता और सड़क की चौड़ाई के अधिसंरचना और उपसंरचना के आरेखणों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए त्वरित योजना बनाने हेतु सीधे अपनाया जा सकता है।**

**<u>रेल बजट</u>:**

**हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। केरलम राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-**

| अवधि | परिव्यय |
|---|---|
| 2009-14 | 372 करोड़ रुपए प्रति वर्ष |
| 2026-27 | ₹3,795 करोड़ रुपए (10 गुना से अधिक) |

**स्वीकृत परियोजनाएं:-**

**01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, केरलम में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 11,650 करोड़ की लागत की 302 कि.मी. लंबाई वाली 09 परियोजनाएँ (03 नई लाइन और 06 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। सारांश निम्नानुसार है:-**

| कोटि | परियोजनाओं की संख्या | कुल लंबाई (कि.मी. में) | मार्च, 2026 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में) | मार्च, 2026 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| नई लाइन | 03 | 148 | 0 | 317 |
| दोहरीकरण/बहुपथन | 06 | 154 | 40 | 3,550 |
| कुल | 09 | 302 | 40 | 3,867 |

**हाल ही में पूरी की गईं परियोजनाएं:**

**केरलम राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गईं कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:**

| # | परियोजना | लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | दिंडुक्कल-पालघाट और पोल्लाच्चि-कोयम्बतूर आमान परिवर्तन (217 किलोमीटर) | 1,360 |
| 2 | कोल्लम--तिरूच्चेंदूर आमान परिवर्तन (357 किलोमीटर) | 1,122 |
| 3 | मुलंतुरुत्ती-कुरूप्पनत्तरा दोहरीकरण (24 किलोमीटर) | 303 |
| 4 | चेंगन्नूर-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर) | 436 |
| 5 | अम्बलप्पुष़ा-हरिप्पाड दोहरीकरण (18 किलोमीटर) | 346 |
| 6 | कुरूप्पनतरा-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर) | 749 |

**चालू परियोजनाएं:-**

**केरलम राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली कुछ परियोजनाओं, जिन्हें शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:**

| क्र.सं. | परियोजना | लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | अंगमालि - सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर) | 3,801 |
| 2 | एरणाकुलम - कुम्बलम दोहरीकरण (8 किलोमीटर) | 808 |
| 3 | कुम्बलम - तुरवूर दोहरीकरण (16 किलोमीटर) | 1,172 |
| 4 | त्रिवेंद्रम - कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 किलोमीटर) | 4,494 |
| 5 | आलप्पुष़ा - अंबलपपुष़ा दोहरीकरण (13 किलोमीटर) | 324 |
| 6 | तूरवुर - मारारिक्कुलम दोहरीकरण (21 किलोमीटर) | 451 |
| 7 | मारारिक्कुलम - आलप्पुष़ा दोहरीकरण (11 कि.मी.) | 221 |

केरलम राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में हुए विलंब के कारण रुका हुआ है। केरलम राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| केरलम में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि | 618 हेक्टेयर |
| अधिगृहीत की गई भूमि | 78 हेक्टेयर (13%) |
| अधिग्रहण के लिए शेष भूमि | 540 हेक्टेयर (87%) |

रेलवे ने केरलम सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए 1,976 करोड़ रुपए जमा किए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के लिए केरलम सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में) | अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में) | अधिगृहीत किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर) | 304 | 25 | 279 |
| 2. | एरणाकुलम - कुम्बलम कहीं- | 4 | 3 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कहीं दोहरीकरण (8 किलोमीटर) | | | |
| 3. | कुम्बलम-तुरवूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 किलोमीटर) | 10 | 9 | 1 |
| 4. | षोरणूर - वल्लत्तोल दोहरीकरण (10 किलोमीटर) | 5 | 0 | 5 |

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है, बहरहाल इसकी सफलता केरलम सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति

- **अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ**
- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति**
- **विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।**

**ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।**

**********